

अनुसंधान प्रश्न

“क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा सकता है, पुनर्विचार याचिका, उपचारात्मक याचिका और बड़ी पीठ को संदर्भ कैसे काम करते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत नजीर दूसरी अदालतों को कैसे बांधती है?”

क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा जा सकता है? पुनर्विचार याचिका, उपचारात्मक याचिका, बड़ी पीठ को संदर्भ की प्रक्रिया और अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी नजीर के सिद्धांत का विधिक विश्लेषण।

सारांश

भारत में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सामान्यतः अंतिम होता है, लेकिन इसे **अनुच्छेद 137** के तहत अत्यंत सीमित आधारों (जैसे रिकॉर्ड पर प्रत्यक्ष त्रुटि) पर पुनर्विचार याचिका (Review Petition) के माध्यम से सुधारा जा सकता है (*Lily Thomas v. Union of India* (2000))। इसके अतिरिक्त, विधिक निश्चितता सुनिश्चित करने वाले 'Stare Decisis' सिद्धांत के बावजूद, यदि कोई निर्णय स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है तो उसे **बड़ी पीठ (Larger Bench)** को संदर्भित करके बदला जा सकता है (*Krishnan & Ors. v. State of Haryana* (2013))। **अनुच्छेद 141** के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्णतः बाध्यकारी है, परंतु **अनुच्छेद 142** के तहत केवल पूर्ण न्याय (complete justice) के उद्देश्य से दिए गए विशेष राहत-निर्देश विधिक नजीर के रूप में बाध्यकारी नहीं होते हैं (*Nidhi Kaim and Another v. State of Madhya Pradesh and Others* (2017))।

विधिक अंतर और साक्ष्य सीमा नोट: वर्तमान विधिक खोज परिणामों में "उपचारात्मक याचिका" (Curative Petition) के प्रक्रियात्मक विवरण या *Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra* निर्णय के पाठ्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इस विशिष्ट उपचार पर सीमित विश्लेषण ही प्रस्तुत किया जा सका है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	2	2024
10 उच्च न्यायालय • 15 सर्वोच्च न्यायालय		High Court Of Chhattisgarh

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	3
II. सांविधिक प्रावधान	5
III. चर्चित मुकदमे	6
IV.	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 पुनर्विचार याचिका (Review Petition) का सीमित दायरा

अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा याचिका को 'छद्म अपील' (appeal in disguise) नहीं माना जा सकता है। यह केवल तभी स्वीकार्य है जब रिकॉर्ड पर कोई प्रत्यक्ष त्रुटि (error apparent on the face of the record) या गंभीर प्रक्रियात्मक भूल हुई हो, न कि इसलिए कि मामले में दूसरा दृष्टिकोण संभव है (*Haryana State Industrial Development Corporation Ltd. v. Mawasi* (2012), *Shri Ram Sahu v. Vinod Kumar Rawat* (2020))।

02 दीवानी बनाम आपराधिक समीक्षा में अंतर

दीवानी मामलों में पुनर्विचार के आधार व्यापक हैं (C.P.C. के आदेश XLVII नियम 1 के समान), जबकि आपराधिक कार्यवाही में पुनर्विचार केवल रिकॉर्ड पर प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाली गंभीर गलती (error apparent on the face of record) तक ही कड़ाई से सीमित है (*Mukesh v. State of NCT of Delhi* (2018))।

03 बड़ी पीठ को संदर्भ (Reference to Larger Bench) की प्रक्रिया

विधिक पदानुक्रम के सिद्धांत के तहत बड़ी पीठ द्वारा स्थापित निर्णय छोटी या समान संख्या वाली पीठों पर बाध्यकारी होते हैं। यदि दो न्यायाधीशों की पीठ पूर्ववर्ती तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय से असहमत है, तो उचित प्रक्रिया यह है कि वह कारण बताते हुए मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजे, जो आवश्यकतानुसार इसे पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को संदर्भित कर सकती है (*Krishnan & Ors. v. State of Haryana & Ors.* (2013))।

04 Stare Decisis (पूर्व निर्णय की स्थिरता) का महत्व

कानून में स्थिरता, निरंतरता और निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित नज़ीरों का पालन किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय अपने ही पूर्व निर्णयों को केवल बहुत मजबूत, तार्किक और जनहित से जुड़े अपरिहार्य कारणों से ही बदलता है (*M/s. Total Environment Building Systems Pvt. Ltd. v. The Deputy Commissioner of Commercial Taxes & Ors.* (2022))।

05 अनुच्छेद 141 (बाध्यकारी नज़ीर) बनाम अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय निर्देश) का अंतर

अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित सामान्य कानून (ratio decidendi) सभी अदालतों को बांधता है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 142 के तहत 'पूर्ण न्याय' करने के लिए विशिष्ट तथ्यों के आधार पर दिए गए विशेष निर्देश या राहत को अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी नज़ीर नहीं माना जा सकता (*Nidhi Kaim and Another v. State of Madhya Pradesh and Others* (2017))।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आपराधिक मामलों में अंतिम निर्णय को पलटना केवल गंभीर न्याय-अहित को रोकने के लिए ही संभव है। उदाहरण के लिए, मृत्युदंड के मामलों में जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के संरक्षण हेतु, पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सीमित मौखिक सुनवाई अनिवार्य की गई है (*Mohd. Arif @ Ashfaq v. The Registrar, Supreme Court of India* (2014))। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी लंबित मामलों पर पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होता है, परंतु यह अंतिम रूप से बंद हो चुके पुराने मामलों को दोबारा खोलने का आधार नहीं बन सकता (*Maj. Genl. A.S. Gauraya v. S.N. Thakur* (1986))।

उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण

उच्च न्यायालयों ने दोहराया है कि भले ही उनके पास अनुच्छेद 226 के तहत पुनर्विचार की अंतर्निहित शक्ति मौजूद है, लेकिन इस शक्ति के प्रयोग की निश्चित सीमाएं हैं। वे साक्ष्यों के पुनः मूल्यांकन या गुण-दोष (merits) के आधार पर निर्णयों को बदलने के लिए अपीलीय अदालत की तरह व्यवहार नहीं कर सकते (*A.M. Faisal v. Thrissur Corporation* (2021), *Union of India v. N. Subramanian* (2019))।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) पर साक्ष्य का अभाव

यद्यपि विधिक विमर्श में *Rupa Ashok Hurra* के तहत "उपचारात्मक याचिका" का प्रावधान स्थापित है, वर्तमान में प्रदान किए गए विधिक खोज परिणामों में इस विषय पर कोई प्रत्यक्ष केस फाइल या निर्णय उपलब्ध नहीं है। अतः इसकी विधिक सीमा और कार्यप्रणाली पर ठोस साक्ष्य-आधारित विश्लेषण इस मेमो में उपलब्ध नहीं है।

"अन्य पर्याप्त कारण" की व्याख्या

दीवानी मामलों में पुनर्विचार के लिए "अन्य पर्याप्त कारण" (any other sufficient reason) वाक्यांश का दायरा अदालतों के विवेक पर निर्भर है, लेकिन इसे आम तौर पर प्राकृतिक न्याय के गंभीर उल्लंघन या प्रक्रियात्मक दुरुपयोग तक ही सीमित रखा गया है (*Ram Jethmalani v. Union of India* (2011))।

II. सांविधिक प्रावधान 2 प्रावधान

ARTICLE 137, CONSTITUTION OF INDIA — REVIEW OF JUDGMENTS OR ORDERS BY THE SUPREME COURT

यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है।

"Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it." उद्धृत: Bhunesh Gandharwa v. State of Chhattisgarh, Rajendra Khare v. Swaati Nirkhi, Ram Jethmalani v. Union of India, Lily Thomas v. Union of India, Haryana State Industrial Development Corporation Ltd. v. Mawasi, Mukesh v. State of NCT of Delhi, Union of India v. N. Subramanian, Kalaiselvi v. Official Assignee, Government of Tamil Nadu v. R. Azhaharasan, State of Tamil Nadu v. S. Nagaraj, The Government of Tamil Nadu v. S. Thangamani, State of Tamilnadu v. Secretary, Komarappa Sengunthar Higher Secondary School, State of Tamil Nadu v. C. Jebakumar, A.M. Faisal v. Thrissur Corporation

ARTICLE 141, CONSTITUTION OF INDIA — LAW DECLARED BY SUPREME COURT TO BE BINDING ON ALL COURTS

यह प्रावधान अनिवार्य करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत के भीतर अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।

"The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India." उद्धृत: Maj. Genl. A.S. Gauraya v. S.N. Thakur, Nidhi Kaim and Another v. State of Madhya Pradesh and Others

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Haryana State Industrial Development Corporation Ltd. v. Mawasi</i> ESCR010004082012	SUPREME COURT OF INDIA	2012	पुनर्विचार याचिका केवल स्पष्ट रिकॉर्ड त्रुटि पर स्वीकार्य है, अपील के रूप में नहीं।
02	<i>Union of India v. N. Subramanian</i> HCMA010587802019	MADRAS HIGH COURT	2019	समीक्षा याचिका अपील का विकल्प नहीं है और केवल स्पष्ट त्रुटि पर लागू होगी।
03	<i>Maj. Genl. A.S. Gauraya v. S.N. Thakur</i> ESCR010000991986	SUPREME COURT OF INDIA	1986	अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी अधीनस्थ अदालतों पर बाध्यकारी हैं।
04	<i>Rajendra Khare v. Swaati Nirkhi</i> ESCR010000782021	SUPREME COURT OF INDIA	2021	प्रक्रियात्मक त्रुटि होने पर पुनर्विचार याचिका के तहत पिछले आदेश को वापस लिया जा सकता है।
05	<i>Lily Thomas v. Union of India</i> ESCR010002122000	SUPREME COURT OF INDIA	2000	सुप्रीम कोर्ट में बड़ी पीठ छोटे पीठ के निर्णयों को पलट सकती है।
06	<i>The Government of Tamil Nadu v. S. Thangamani</i> HCMA011625982017	MADRAS HIGH COURT	2017	समीक्षा याचिका में नए साक्ष्य की खोज गंभीर एवं न्यायहित में होनी चाहिए।
07	<i>Krishnan & Ors. v. State of Haryana & Ors.</i> ESCR010004592013	SUPREME COURT OF INDIA	2013	पीठों की असहमति पर मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करने की प्रक्रिया।
08	<i>Manish Goel v. Rohini Goel</i> ESCR010004642010	SUPREME COURT OF INDIA	2010	अनुच्छेद 142 का प्रयोग सामान्य विधिक प्रक्रियाओं या संविधियों को दरकिनार करने के लिए नहीं।
09	<i>Union of India v. N. Subramanian</i> HCMA010008742019	MADRAS HIGH COURT	2019	स्पष्ट त्रुटि के अभाव में मद्रास उच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका को खारिज किया।
10	<i>State of Tamilnadu v. Secretary, Komarappa Sengunthar Higher Secondary School</i> HCMA011628622017	MADRAS HIGH COURT	2017	रिकॉर्ड पर प्रत्यक्ष त्रुटि होने पर ही अदालत अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।
11	<i>Ram Jethmalani v. Union of India</i> ESCR010001052011	SUPREME COURT OF INDIA	2011	न्याय सुनिश्चित करने और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु पुनर्विचार शक्ति निहित है।
12	<i>Shri Ram Sahu v. Vinod Kumar Rawat</i> ESCR010000502020	SUPREME COURT OF INDIA	2020	समीक्षा का अधिकार संविधि द्वारा प्रदत्त है, यह कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है।
13	<i>State of Tamil Nadu v. S. Nagaraj</i> HCMA010746622015	MADRAS HIGH COURT	2015	समीक्षा याचिका का उद्देश्य पूर्व निर्णय की योग्यता पर पुनर्विचार करना नहीं है।
14	<i>A.M. Faisal v. Thrissur Corporation</i> KLHC010116202020	HIGH COURT OF KERALA	2021	दो दृष्टिकोण संभव होना पुनर्विचार याचिका स्वीकार करने का आधार नहीं बन सकता।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
15	<i>Mukesh v. State of NCT of Delhi</i> ESCR010007392018	SUPREME COURT OF INDIA	2018	आपराधिक मामलों में पुनर्विचार केवल रिकॉर्ड पर प्रत्यक्ष त्रुटि के आधार पर सीमित।
16	<i>Sakshi v. Union of India</i> ESCR010003832004	SUPREME COURT OF INDIA	2004	निश्चितता बनाए रखने के लिए स्थापित न्यायिक नज़ीरों (Stare Decisis) का पालन आवश्यक।
17	<i>Kalaiselvi v. Official Assignee</i> HCMA010566422017	MADRAS HIGH COURT	2017	नियमों का अनिवार्य पालन आवश्यक है और समीक्षा केवल गंभीर न्यायिक त्रुटि पर।
18	<i>Bhunesh Gandharwa v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010084462024	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2024	समीक्षा याचिका में तथ्यों या कानून के पुनः मूल्यांकन की अनुमति नहीं है।
19	<i>Government of Tamil Nadu v. R. Azhaharasan</i> HCMA010602912019	MADRAS HIGH COURT	2019	पूर्व आदेश में कोई स्पष्ट विधिक त्रुटि न होने पर समीक्षा अस्वीकार्य।
20	<i>M/s. Total Environment Building Systems Pvt. Ltd. v. The Deputy Commissioner of Commercial Taxes & Ors.</i> ESCR010009172022	SUPREME COURT OF INDIA	2022	लंबे समय से स्थापित कानून को बिना मजबूत कारणों के बदला नहीं जाना चाहिए।
21	<i>Mohd. Arif @ Ashfaq v. The Registrar, Supreme Court of India</i> ESCR01000492014	SUPREME COURT OF INDIA	2014	मृत्युदंड के मामलों में पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सीमित मौखिक सुनवाई।
22	<i>Saurashtra Cement and Chemical Industries v. Union of India</i> ESCR010004872000	SUPREME COURT OF INDIA	2000	लोक नीति और विधिक निश्चितता हेतु 'Stare Decisis' सिद्धांत का पालन आवश्यक।
23	<i>State of Tamil Nadu v. C. Jebakumar</i> HCMD010309832014	MADRAS HIGH COURT	2014	त्रुटि के अभाव में समीक्षा याचिका खारिज और सेवा नियमितीकरण के आदेश बहाल।
24	<i>Nidhi Kaim and Another v. State of Madhya Pradesh and Others</i> ESCR010003252017	SUPREME COURT OF INDIA	2017	अनुच्छेद 142 के तहत विशेष निर्देश अनुच्छेद 141 की बाध्यकारी नज़ीर नहीं हैं।
25	<i>Kutchi Lal Rameshwar Ashram Trust Evam Anna Kshetra Trust v. Collector, Haridwar</i> ESCR010007272017	SUPREME COURT OF INDIA	2017	अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के लिए विस्तृत आदेश दे सकता है।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Haryana State Industrial Development Corporation Ltd. v. Mawasi

SUPREME COURT OF INDIA • 2012-07-02 • 2012 INSC 257

यह मामला भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में वृद्धि को चुनौती देने वाली पुनर्विलोकन याचिका (Review Petition) से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विलोकन याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि निर्णय में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं पाई गई।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समीक्षा याचिका का दायरा बेहद सीमित है। इसे छद्म अपील (appeal in disguise) नहीं माना जा सकता और न ही दो संभावित दृष्टिकोणों की उपस्थिति समीक्षा का आधार बन सकती है। इसके लिए रिकॉर्ड पर प्रत्यक्ष विसंगति होनी चाहिए।

“An error which is not self-evident and has to be detected by a process of reasoning, can hardly be said to be an error apparent on the face of the record justifying the Court to exercise its power of review under Order 47 Rule 1 CPC A review petition, it must be remembered has a limited purpose and cannot be allowed to be "an appeal in disguise.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2012

स्रोत ESCR010004082012

02 Union of India v. N. Subramanian

MADRAS HIGH COURT • 2019-09-30 • REV.APPL/94/2019

यह मामला एक Review Application से संबंधित है जिसमें Union of India ने न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें एक पूर्व कर्मचारी N. Subramanian को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि समीक्षा (Review) एक अपील का विकल्प नहीं है।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि अंतिम निर्णय को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि उसमें कोई पेटेंट विसंगति या गंभीर भूल न हो।

“But whatever the nature of the proceeding, it is beyond dispute that a review proceeding cannot be equated with the original hearing of the case, and the finality of the judgment delivered by the Court will not be reconsidered except where a glaring omission or patent mistake or like grave error has crept in earlier by judicial fallibility.”

MADRAS HIGH COURT • 2019

स्रोत HCMA010587802019

03 Maj. Genl. A.S. Gauraya v. S.N. Thakur

SUPREME COURT OF INDIA • 1986-04-25 • 1986 INSC 93

यह मामला आपराधिक अदालत की किसी शिकायत को खारिज करने के बाद उसे वापस बहाल करने की अंतर्निहित शक्तियों और अनुच्छेद 141 के दायरे से संबंधित था।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 141 के तहत उसके द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है और यह लंबित मामलों पर भी लागू होता है, लेकिन इसके माध्यम से अंतिम रूप से बंद हो चुके पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जा सकता।

“so far as Article 141 of the Constitution of India and the ratio of these decisions is concerned, there can be no dispute whatsoever. At the same time a pronouncement as to the position of law in a judicial decision by the Supreme Court cannot be treated as a sort of legislation by the Parliament giving retrospective effect as to enjoin reopening of all matters which -have already become final and closed.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1986

स्रोत ESCR010000991986

04 Rajendra Khare v. Swaati Nirkhi

SUPREME COURT OF INDIA • 2021-01-28 • 2021 INSC 45

यह मामला एक review petition से संबंधित है जिसे एक आपराधिक मामले के स्थानांतरण (transfer) के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर किया गया था, जहाँ शिकायतकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया था।

निर्णय न्यायालय ने माना कि यदि प्रक्रियात्मक विफलता या नोटिस न देने जैसी पेटेंट त्रुटि हुई है, तो अनुच्छेद 137 और नियम 2013 के आदेश XLVII के तहत पुनर्विचार याचिका स्वीकार करके पिछले आदेश को वापस (recall) लिया जा सकता है।

“There has to be an error apparent on the face of the record leading to miscarriage of justice to exercise the review jurisdiction under Article 137 read with Order 40 Rule 1. There has to be a material error manifest on the face of the record with results in the miscarriage of justice.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2021

स्रोत ESCR010000782021

05 Lily Thomas v. Union of India

SUPREME COURT OF INDIA • 2000-05-05 • 2000 INSC 293

यह याचिका सरला मुद्गल बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए दायर की गई थी। न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही बेंचों का एक पदानुक्रम (hierarchy of benches) काम करता है, जहाँ बड़ी पीठ छोटी पीठ के निर्णयों को पलट सकती है। समीक्षा का अधिकार केवल गलतियों को सुधारने के लिए है।

“In this country there is a hierarchy within the Court itself where larger Benches overrules smaller Bench. This practice followed by the Court was declared to have been crystallised as a rule of law... the powers of review can be exercised for correction of a mistake and not to substitute a view.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2000

स्रोत ESCR010002122000

06 The Government of Tamil Nadu v. S. Thangamani

MADRAS HIGH COURT • 2017-11-28 • WA/1596/2017

यह मामला एक निजी सहायता प्राप्त विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति की मंजूरी से संबंधित समीक्षा याचिका से जुड़ा है।

निर्णय अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के नजीर का हवाला देते हुए माना कि यदि मूल सुनवाई के दौरान कोई महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान छूट गया हो, तो समीक्षा की जा सकती है, लेकिन इसे मूल मामले की पुनः सुनवाई नहीं माना जा सकता।

“The normal principle is that a judgment pronounced by the Court is final, and departure from that principle is justified only when circumstances of a substantial and compelling character make it necessary to do so... For instance, if the attention of the Court is not drawn to a material statutory provision during the original hearing.”

MADRAS HIGH COURT • 2017

स्रोत HCMA011625982017

07 Krishnan & Ors. v. State of Haryana & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2013-05-07 • 2013 INSC 320

यह मामला NDPS अधिनियम, 1957 की धारा 32-A की संवैधानिक वैधता को लेकर बड़ी पीठ को संदर्भ (Reference to a Larger Bench) से संबंधित था।

निर्णय न्यायालय ने माना कि यदि दो न्यायाधीशों की पीठ को लगता है कि तीन न्यायाधीशों की पीठ का पूर्व निर्णय पूरी तरह से गलत था, तो उचित तरीका यह है कि वे कारण बताते हुए मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजें, जो बाद में पांच न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भ दे सकती है।

“if a Bench of two Judges concludes that an earlier judgment of three Judges is so very incorrect that in no circumstances it can be followed, the proper course for it to adopt is to refer the matter to a Bench of three Judges setting out, the reasons why it could not agree with the earlier judgment.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2013

स्रोत ESCR010004592013

08 Manish Goel v. Rohini Goel

SUPREME COURT OF INDIA • 2010-02-05 • 2010 INSC 82

यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक की प्रतीक्षा अवधि को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत समाप्त करने की मांग से संबंधित था।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत आदेश पारित करते समय स्थापित वैधानिक कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता और न ही सामान्य अपीलीय प्रक्रियाओं को दरकिनार किया जा सकता है।

“But, when we are settling the law in exercise of this court's discretion, such law, so settled, should be clear and become operational instead of being kept vague, so that it could become a binding precedent in all similar cases to arise in future.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2010

स्रोत ESCR010004642010

09 Union of India v. N. Subramanian

MADRAS HIGH COURT • 2019-01-28 • TCA/94/2019

यह मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिका थी, जिसे आवश्यक विधिक आधारों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया।

निर्णय समीक्षा का अधिकार केवल रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली पेटेंट विसंगति को सुधारने के लिए है और इसका उपयोग पूर्व निर्णय के गुणों पर असहमति जताने के लिए नहीं किया जा सकता।

“But whatever the nature of the proceeding, it is beyond dispute that a review proceeding cannot be equated with the original hearing of the case, and the finality of the judgment delivered by the Court will not be reconsidered except where a glaring omission or patent mistake or like grave error has crept in earlier by judicial fallibility.”

MADRAS HIGH COURT • 2019

स्रोत HCMA010008742019

10 State of Tamilnadu v. Secretary, Komarappa Sengunthar Higher Secondary School

MADRAS HIGH COURT • 2017-11-28 • WA/1601/2017

यह मामला अल्पसंख्यक विद्यालय में प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की स्वीकृति को अस्वीकार करने वाली समीक्षा याचिका से संबंधित है।

निर्णय न्यायालय ने माना कि जब तक निर्णय के चेहरे पर कोई स्पष्ट प्रक्रियात्मक या तथ्यात्मक भूल न दिखे, तब तक समीक्षा याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।

“Power of judicial review extends to correct all errors to prevent miscarriage of justice. It was further held that Courts should not hesitate to review their own earlier order, when there exists an error on the face of record and the interest of justice so demands in appropriate cases.”

MADRAS HIGH COURT • 2017

स्रोत HCMA011628622017

11 Ram Jethmalani v. Union of India

SUPREME COURT OF INDIA • 2011-09-23 • 2011 INSC 707

विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने हेतु SIT के गठन संबंधी पूर्व आदेश में संशोधन के लिए सरकार द्वारा दायर समीक्षा याचिका का मामला।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भले ही स्पष्ट नियम न हों, लेकिन न्याय के व्यापक हित में और अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास अपने निर्णयों को वापस लेने (recall) या समीक्षा करने की अंतर्निहित शक्ति मौजूद है।

“Rectification of an order thus stems from the fundamental principle that justice is above all. It is exercised to remove the error and not for disturbing finality... Apart from Order XL Rule 1 of the Supreme Court Rules this Court has the inherent power to make such orders as may be necessary in the interest of justice or to prevent the abuse of process of Court.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2011

स्रोत ESCR010001052011

12 Shri Ram Sahu v. Vinod Kumar Rawat

SUPREME COURT OF INDIA • 2020-11-03 • 2020 INSC 627

यह मामला CPC के तहत समीक्षा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से संबंधित है, जहाँ उच्च न्यायालय ने समीक्षा के तहत पूर्व आदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हटा दिया था।

निर्णय न्यायालय ने माना कि समीक्षा अंतर्निहित शक्ति नहीं है बल्कि संविधि द्वारा निर्मित अधिकार है। समीक्षा अदालत को मामले की दोबारा सुनवाई (rehearing) करने का अधिकार नहीं है।

“It cannot be denied that the review is the creation of a statute... the power of review is not an inherent power. It must be conferred by law either specifically or by necessary implication. The review is also not an appeal in disguise.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2020

स्रोत ESCR010000502020

13 State of Tamil Nadu v. S. Nagaraj

MADRAS HIGH COURT • 2015-10-07 • REV.APPL/217/2015

यह एक सरकारी कर्मचारी की सचिवालय में नियुक्ति और उसके ग्रहणाधिकार (lien) से संबंधित आदेश की समीक्षा का मामला था।

निर्णय न्यायालय ने दोहराया कि समीक्षा शक्ति का दायरा संकीर्ण है और इसका उपयोग अपीलीय अधिकारों के रूप में नहीं किया जा सकता, केवल पेटेंट विसंगति को सुधारा जा सकता है।

“The power of review may be exercised on the discovery of new and important matter or evidence... it may also be exercised on any analogous ground. But, it may not be exercised on the ground that the decision was erroneous on merits.”

MADRAS HIGH COURT • 2015

स्रोत HCMA010746622015

14 A.M. Faisal v. Thrissur Corporation

HIGH COURT OF KERALA • 2021-03-24 • RP/206/2020

केरल उच्च न्यायालय द्वारा Thrissur Corporation के विध्वंस नोटिस के विरुद्ध दायर रिट याचिका के खारिज होने पर किराएदार द्वारा दायर समीक्षा याचिका का मामला।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने माना कि एक ही विषय पर दो अलग-अलग विचारों या मतों की संभावना समीक्षा का आधार नहीं बन सकती। निर्णय की अंतिम सीमा का सम्मान किया जाना चाहिए।

"The mere fact that two views on the same subject are possible is no ground to review the earlier judgment passed by a Bench of the same strength... It is exercised to remove the error and not for disturbing finality."

HIGH COURT OF KERALA • 2021

स्रोत KLHC010116202020

15 Mukesh v. State of NCT of Delhi

SUPREME COURT OF INDIA • 2018-07-09 • 2018 INSC 590

प्रसिद्ध 'निर्भया' मामले में मृत्युदंड के दोषी मुकेश द्वारा अपने मृत्युदंड के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका का मामला।

निर्णय न्यायालय ने कड़ाई से स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में पुनर्विचार केवल "रिकॉर्ड पर प्रत्यक्ष त्रुटि" (error apparent on the face of record) के आधार पर ही संभव है, न कि पूर्व तर्कों की पुनरावृत्ति के आधार पर।

"The Court may review its judgment or order, but no application for review will be entertained in a civil proceeding except on the ground mentioned in Order XLVII, rule 1 of the Code, and in a criminal proceeding except on the ground of an error apparent on the face of the record."

SUPREME COURT OF INDIA • 2018

स्रोत ESCR010007392018

16 Sakshi v. Union of India

SUPREME COURT OF INDIA • 2004-05-26 • 2004 INSC 383

यह जनहित याचिका IPC के तहत 'बलात्कार' की परिभाषा को अदालती व्याख्या के जरिए विस्तृत करने की मांग के लिए दायर की गई थी।

निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 'Stare Decisis' (पूर्व निर्णय का सिद्धांत) कानून में निश्चितता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। स्थापित नियमों को बार-बार या आसानी से नहीं बदला जाना चाहिए।

"Stare decisis is a well known doctrine in legal jurisprudence... It requires that rules of law when clearly announced and established by a Court of last resort should not be lightly disregarded and set aside but should be adhered to and followed."

SUPREME COURT OF INDIA • 2004

स्रोत ESCR010003832004

17 Kalaiselvi v. Official Assignee

MADRAS HIGH COURT • 2017-12-13 • REV.APPL/39/2017

एक नीलामी बिक्री में भुगतान में देरी के कारण बिक्री रद्द होने पर दायर समीक्षा याचिका का मामला।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और निर्णयों की अंतिम सीमा को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब कोई गंभीर विधिक भूल या अन्याय स्पष्ट हो।

“whatever the nature of the proceeding, it is beyond dispute that a review proceeding cannot be equated with the original hearing of the case, and the finality of the judgment delivered by the Court will not be reconsidered except where a glaring omission or patent mistake or like grave error has crept in earlier by judicial fallibility.”

MADRAS HIGH COURT • 2017

स्रोत HCMA010566422017

18 Bhunesh Gandharwa v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2024-04-10 • REV/P/63/2024

एकल पीठ के बहाली आदेश को पलटने वाले निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर समीक्षा याचिका का मामला।

निर्णय न्यायालय ने माना कि समीक्षा के दौरान तथ्यों या कानून का पुनः मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, यह केवल तभी संभव है जब कोई स्पष्ट तथ्यात्मक या विधिक भूल हो।

“the Supreme Court would have power to review any judgment or order made by it subject to the provisions of any law made by the Parliament or any Rules made under Article 145... no further application for review shall be entertained in the same matter.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2024

स्रोत CGHC010084462024

19 Government of Tamil Nadu v. R. Azhaharasan

MADRAS HIGH COURT • 2019-06-14 • REV.APPL/115/2019

राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी के नियमितीकरण के आदेश के विरुद्ध दायर समीक्षा याचिका का मामला।

निर्णय उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि निर्णय के औचित्य पर पुनर्विचार करना अपीलीय अदालत का काम है, न कि समीक्षा याचिका का।

“whatever the nature of the proceeding, it is beyond dispute that a review proceeding cannot be equated with the original hearing of the case, and the finality of the judgment delivered by the Court will not be reconsidered except where a glaring omission or patent mistake or like grave error has crept in earlier by judicial fallibility.”

MADRAS HIGH COURT • 2019

स्रोत HCMA010602912019

20 M/s. Total Environment Building Systems Pvt. Ltd. v. The Deputy Commissioner of Commercial Taxes & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2022-08-02 • 2022 INSC 780

composite works contracts पर 2007 से पहले सर्विस टैक्स लगाने की वैधता से संबंधित मामला।

निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने Stare Decisis के सिद्धांत पर जोर देते हुए माना कि लंबे समय से स्थापित न्यायिक दृष्टिकोण को बिना किसी ठोस और असाधारण कारण के नहीं बदला जाना चाहिए।

“Stare decisis is a Latin phrase which means 'to stand by decided cases; to uphold precedents; to maintain former adjudication'... The underlying logic of the doctrine is to maintain consistency and avoid uncertainty. The guiding philosophy is that a view which has held the field for a long time should not be disturbed only because another view is possible.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2022

स्रोत ESCR010009172022

21 Mohd. Arif @ Ashfaq v. The Registrar, Supreme Court of India

SUPREME COURT OF INDIA • 2014-09-02 • 2014 INSC 590

मृत्युदंड के मामलों में पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में मौखिक सुनवाई के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिकाओं का ऐतिहासिक मामला।

निर्णय संवैधानिक पीठ ने माना कि जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप को देखते हुए, मृत्युदंड के मामलों में समीक्षा याचिकाओं को सर्कुलेशन द्वारा खारिज करने के बजाय खुली अदालत में 30 मिनट की मौखिक सुनवाई प्रदान की जानी चाहिए।

“the new rules eliminate oral hearing in a review application and mandate that a review application shall be disposed of by circulation... the discretion is preserved in the Court to grant an oral hearing in an appropriate case... the concern of the law to avoid judicial error should be heightened when life or liberty is in peril”

SUPREME COURT OF INDIA • 2014

स्रोत ESCR01000492014

22 Saurashtra Cement and Chemical Industries v. Union of India

SUPREME COURT OF INDIA • 2000-10-17 • 2000 INSC 487

रॉयल्टी निर्धारण की विधायी क्षमता और 'Stare Decisis' सिद्धांत की स्वीकार्यता से संबंधित मामला।

निर्णय अदालत ने माना कि यदि किसी निर्णय का दीर्घकाल से पालन किया जा रहा हो, तो उसे केवल तभी बदला जाना चाहिए जब वह पूर्णतः गैर-वैधानिक हो या उससे गंभीर विधिक हानि पहुँच रही हो।

“While it is true that the doctrine has no statutory sanction and the same is based on a Rule of convenience and expediency and as also on 'Public Policy' but in our view, the doctrine should and ought always to be strictly adhered to by the courts of law to sub-serve the ends of justice.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2000

स्रोत ESCR010004872000

23 State of Tamil Nadu v. C. Jebakumar

MADRAS HIGH COURT • 2014-02-05 • WA(MD)/96/2014

पेयजल आपूर्ति सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारी की सेवा के नियमितीकरण से संबंधित आदेश की समीक्षा का मामला।

निर्णय न्यायालय ने समीक्षा याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पर्याप्त विधिक आधारों और विसंगतियों को साबित किए बिना पूर्व आदेश को पलटना कानूनन अमान्य है।

“The normal principle is that a judgment pronounced by the Court is final, and departure from that principle is justified only when circumstances of a substantial and compelling character make it necessary to do so.”

MADRAS HIGH COURT • 2014

स्रोत HCMD010309832014

24 Nidhi Kaim and Another v. State of Madhya Pradesh and Others

SUPREME COURT OF INDIA • 2017-02-13 • 2017 INSC 131

व्यापम (Vyapam) घोटाले के जरिए अवैध रूप से मेडिकल दाखिला पाने वाले छात्रों के प्रवेश रद्दीकरण को चुनौती देने का मामला।

निर्णय मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की पीठ ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया कि अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में न्यायसंगत राहत देने के लिए दिए गए निर्देश, अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी नज़ीर (binding precedent) नहीं बनाते।

“directions issued under Article 142 do not constitute a binding precedent unlike Article 141 of the Constitution of India. They are direction issued to do proper justice and exercise of such power, cannot be considered as law laid down by the Supreme Court under Article 141... do not comprise the ratio decidendi and therefore lose its basic premise of making it "a binding precedent."”

SUPREME COURT OF INDIA • 2017

स्रोत ESCR010003252017

25 Kutchi Lal Rameshwar Ashram Trust Evam Anna Kshetra Trust v. Collector, Haridwar

SUPREME COURT OF INDIA • 2017-09-22 • 2017 INSC 979

हरिद्वार के कलेक्टर द्वारा उत्तराधिकारियों के अभाव में संपत्ति को सरकारी घोषित करने के आदेश को चुनौती देने का मामला।

निर्णय न्यायालय ने माना कि अंतिम सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलुओं पर विचार कर सकता है और प्रारंभिक सीमित टिप्पणियों से बंधा नहीं है।

“Article 142 embodies the fundamental principle that the jurisdiction of the court is to render complete justice and as an incident of it, the court may pass such decrees or orders as it considers fit.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2017

स्रोत ESCR010007272017

अस्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।